उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
14 – अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(CIN : U32201UP1999SGC024928)

संख्याः 13–गोपन–06/पाकालि/2022–04(02)गो0/2003 दिनांकः 13,जनवरी, 2022

कार्यालय–ज्ञाप

कारपोरेशन द्वारा अभियन्ता/गैर अभियन्ता अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय आख्याओं/स्वांकन प्रपत्रों के प्रस्तुतीकरण एवं मूल्यांकन की प्रक्रिया के निर्धारण विषयक आदेश संख्या–824–काविनी/राविप–29/96–08–काविनी/93, दिनांक 18.04.1996 के अनुपालन में विगत में वार्षिक गोपनीय आख्याओं को पूर्ण कराये जाने हेतु कतिपय दिशा निर्देश निर्गत किये जाते रहे हैं। उसी क्रम में चूँकि प्रतिवेदन वर्ष 2021–22 समापन की ओर अग्रसर है, अतएव समस्त अधिकारियों की प्रतिवेदन वर्ष 2021–22 (दिः01.04.2021 से 31.03.2022) की वार्षिक गोपनीय आख्याओं के ससमय अँकन हेतु निम्नांकित दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्रत्येक दशा में 15 जुलाई तक अभियन्ता/गैर अभियन्ता अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय आख्यायें कारपोरेशन मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें : –

(1) प्रतिवेदी द्वारा स्वाँकन प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 30 अप्रैल होगी एवं प्रतिवेदक अधिकारी 15 मई तक समीक्षक अधिकारी को, समीक्षक अधिकारी 15 जून तक अन्तिम अधिकारी को तथा अन्तिम अधिकारी 15 जुलाई तक आख्या पूर्ण कराकर कारपोरेशन मुख्यालय को प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगें ।

(2) प्रतिवेदक अधिकारी के स्थानीय होने की दशा में भी प्रतिवेदी बिना पावती प्राप्ति किये अपना स्वाँकन प्रतिवेदक अधिकारी को हस्तगत नही कराएगा। प्रतिवेदक अधिकारी के स्थानीय न होने की दशा में प्रतिवेदी पंजीकृत डाक से अपना स्वाँकन भेजेगा और उसकी पावती अनुसचिव/उप सचिव (गोपन) को स्वयं या माँगे जाने पर उपलब्ध कराएगा।

(3) प्रतिवेदी द्वारा 30 अप्रैल तक स्वाँकन न प्रस्तुत करने की दशा में प्रतिवेदक/सक्षम अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वे इस तथ्य को इंगित करते हुये उपलब्ध विवरण के आधार पर प्रतिवेदी का मूल्यांकन करते हुए प्रविष्टि अंकित करेंगें ।

(4) उन सभी मामलों में जिनमें प्रविष्टिकर्ता अधिकारी बिना औचित्य के "उत्कृष्ट" या "असंतोषजनक" श्रेणी अंकित करेंगें, कारपोरेशन स्तर पर "उत्कृष्ट" श्रेणी को "अति उत्तम" तथा "असंतोषजनक" श्रेणी को "संतोषजनक" माना जायेगा और इस आशय का सत्यापन सम्बन्धित अवधि की गोपनीय आख्या में यथा स्थान कर दिया जायेगा ।

(5) वार्षिक गोपनीय आख्याओं में मूल्याँकन/अभिमत अंकित करने वाले समस्त प्रविष्टिकर्ता अधिकारियों द्वारा किसी भी दशा में मूल्याँकन अंकित करते समय काट/छाँट अथवा त्रुटि निवारण श्वेत द्रव्य इत्यादि का प्रयोग नहीं किया जायेगा ।

(6) उपरोक्त के अतिरिक्त कृपया कारपोरेशन के आदेश संख्या 824–का0वि0नि0/राविपा–29/96–8का0वि0नि0/93 दिनांक 18.04.1996 में निहित अन्य बिन्दुओं का भी कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें।

(7) कृपया अपने स्तर से उक्त आदेशों को अपने अधीनस्थ अधिकारियों को परिचालित किये जाने की कार्यवाही किया जाना भी सुनिश्चित करें।

उपरोक्त निर्देशों का ससमय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये ।

निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)

संख्याः 13(1)–गोपन(06)/पाकालि/2022–तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित : –

(1) प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/केस्को, विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा/कानपुर ।

(2) प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0/उ0प्र0जल विद्युत निगम लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ ।

(3) समस्त निदेशक(वाणिज्य)/(वितरण)/पारेषण/वित्त/तकनीकी/कारपोरेट प्लानिंग/वर्क्स एण्ड प्रोजेक्ट्स/आपरेशन, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ ।

(4) मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।

(5) अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, एस0एल0डी0सी0 प्रॉगण, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ ।

(6) समस्त मुख्य अभियन्ता, स्तर–1, स्तर–2, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 ।

(7) महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/उप–महाप्रबन्धक (लेखा–प्रशासन)/समस्त मुख्य/उपमुख्य/लेखाधिकारीगण, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/ उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ ।

(8) महाप्रबन्धक (औद्योगिक सम्बन्ध), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।

(9) कारपोरेशन मुख्यालय शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार के समस्त अधिकारीगण/ अनुभाग/शिविर ।

(10) अधिशासी अभियन्ता (वेबसाइट), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को इस अभ्युक्ति सहित कि वे कृपया उक्त कार्यालय ज्ञाप को उप्रपाकालि की वेवसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें ।

आज्ञा से,

13.01.22

(कैलाश चन्द्र जोशी)
अनुसचिव(गोपन)